VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

नीतिशास्त्र

का सारांश

अहमदाबाद बेंगलूरु भोपाल चंडीगढ़ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे राँची

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

OUR ACHIEVEMENTS

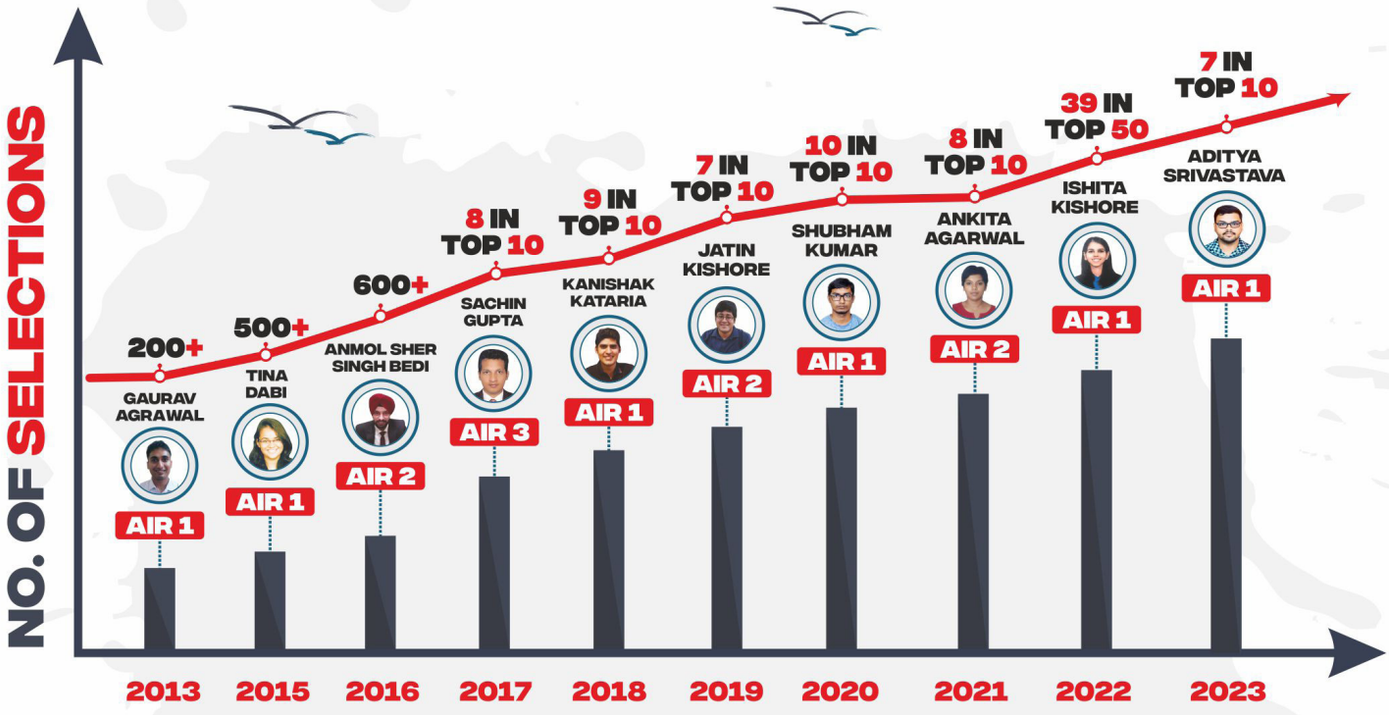

LIVE/ONLINE
Classes Available
www.visionias.in

Foundation Course
GENERAL STUDIES
PRELIMS cum MAINS 2025

DELHI: 12 AUG, 9 AM | 14 AUG, 1 PM | 17 AUG, 5 PM
27 AUG, 9 AM | 29 AUG, 1 PM | 31 AUG, 5 PM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar):
30 AUG, 5:30 PM | 19 JULY, 8:30 AM | 23 JULY, 5:30 PM

AHMEDABAD: 20 AUG | **BENGALURU:** 21 AUG | **BHOPAL:** 5 SEPT | **CHANDIGARH:** 9 SEPT
HYDERABAD: 29 AUG | **JAIPUR:** 21 AUG | **JODHPUR:** 11 JULY | **LUCKNOW:** 5 SEPT | **PUNE:** 5 JULY

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2025

▶ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI: 22 अगस्त, 1 PM | 18 जुलाई, 1 PM | **BHOPAL:** 23 जुलाई | **LUCKNOW:** 18 जुलाई | **JAIPUR:** 16 अगस्त | **JODHPUR:** 11 जुलाई

Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

/visionias.upsc | /c/VisionIASdelhi | /c/VisionIASdelhi | /t.me/s/VisionIAS_UPSC

DELHI: HEAD OFFICE: 1st floor, Apsara Arcade, Near Gate-7 Karol Bagh Metro Station, 1/8 b, Pusa Road, Karol Bagh, Delhi – 110005 | **CONTACT:** 8468022022, 9019066066

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

विषय-सूची

1. सरकारी एवं निजी संस्थानों से संबद्ध नैतिक चिंताएं और दुविधाएं (Ethical Concerns and Dilemmas in Government and Private Institutions) 4
2. नैतिकता और प्रौद्योगिकी (Ethics and Technology) 7
3. नैतिकता और समाज (Ethics And Society) 11
4. नैतिकता और व्यवसाय (Ethics And Business) 15
5. नैतिकता और मीडिया (Ethics And Media) 19
6. विविध (Miscellaneous) 23

1. सरकारी एवं निजी संस्थानों से संबद्ध नैतिक चिंताएं और दुविधाएं (Ethical Concerns and Dilemmas in Government and Private Institutions)

1.1. विधि निर्माताओं की नैतिकता (Ethics of Lawmakers)

- **प्रस्तावना:** विभिन्न अवसरों पर, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में **विधि निर्माताओं के आचरण** को लेकर चिंताएं प्रकट की गई हैं। ऐसे उदाहरणों में संसद की आचार समिति (Ethics Committee) द्वारा **'प्रश्न पूछने के बदले पैसा'** (Cash for Query) लेने से जुड़े मामलों की जांच और सदन में मर्यादाहीन आचरण के लिए कुछ सांसदों का निलंबन किया जाना शामिल है।

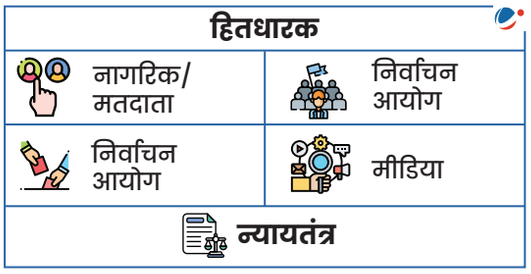

- **विधि निर्माताओं में नैतिक मूल्यों के ह्रास के कारक**
  - **भ्रष्टाचार:** उदाहरण के लिए- कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला आदि।
  - **राजनीति का अपराधीकरण**
- **विधि निर्माता अपने व्यावसायिक हितों के कारण** विधायी परिणामों को प्रभावित कर रहे हैं।

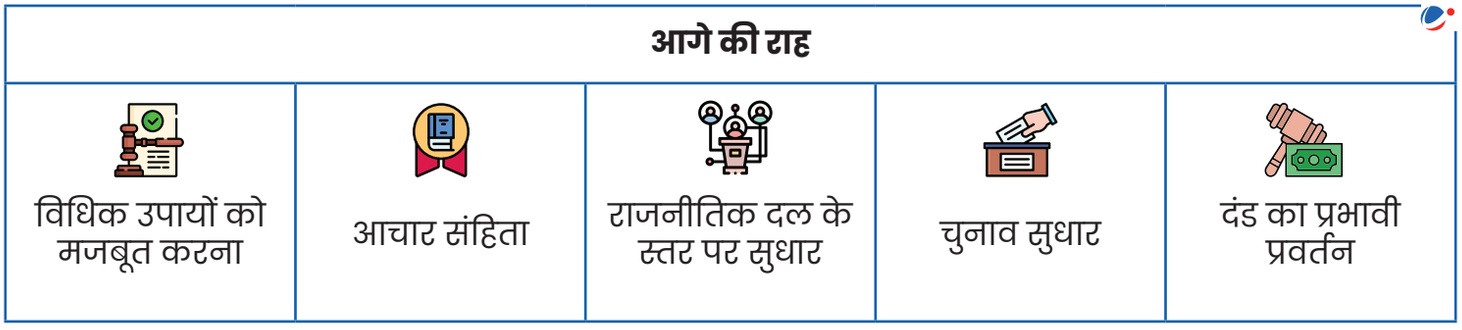

1.2. राजनीतिक नैतिकता और हितों का टकराव (Political Ethics and Conflict of Interest)

- **प्रस्तावना:** हाल ही में, कलकत्ता हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश और पश्चिम बंगाल के एक वरिष्ठ आई.पी.एस. अधिकारी ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया और वे राजनीतिक दलों में शामिल हो गए।

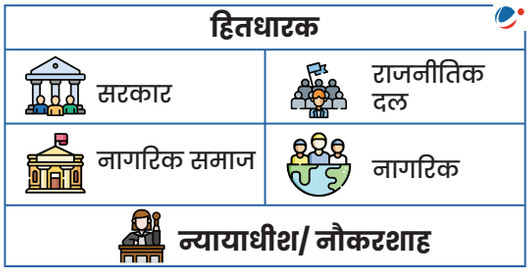

- **न्यायाधीशों और नौकरशाहों के राजनीति में शामिल होने के नैतिक निहितार्थ**
  - **शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन।**
  - **आधिकारिक कर्तव्यों में संभावित राजनीतिक पूर्वाग्रह।**
  - पूर्वाग्रह की धारणा विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाती है।
  - राजनीतिक संबद्धताएं सार्वजनिक सेवाओं का राजनीतिकरण कर सकती हैं।

आगे की राह		
कम-से-कम दो साल की कूलिंग-ऑफ अवधि	नौकरशाहों के लिए आचार संहिता	त्याग, पारदर्शिता और प्रकटीकरण के माध्यम से हितों के टकराव का समाधान

1.3. भगवद् गीता और प्रशासनिक नैतिकता के लिए सीख (Bhagavad Gita and The Learnings for Administrative Ethics)

- **प्रस्तावना:** हाल ही में, गुजरात सरकार द्वारा यह घोषणा की गई है कि राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में (कक्षा 6 से 12 तक) भगवद् गीता को शामिल किया जाएगा। इसे प्रशासनिक नैतिकता में भी शामिल किया जा सकता है, जो व्यवस्था और प्रशासकों को समान रूप से मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है।
- **भगवद् गीता की शिक्षाएं, प्रशासन एवं शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने में कैसे सहायता कर सकती हैं?**
  - **कार्यप्रणाली या व्यवहार में सत्यनिष्ठा:** भगवद् गीता में सकाम कर्म की जगह निष्काम कर्म पर बल दिया गया है जो इस ग्रंथ का मूल दर्शन है।
  - **निर्णय लेने में निष्पक्षता:** भगवद् गीता की शिक्षाएं **लोक संग्रह** को बढ़ावा देती हैं, यानी **सभी को एक साथ/ संगठित बनाए रखने पर जोर** देती हैं।
  - **नेतृत्व विकास:** भगवद् गीता **स्वधर्म** अर्थात् **अपने कर्तव्य या धर्म** का पालन करने पर बल देती है।
  - **अभिप्रेरणा:** भगवद् गीता मन पर केंद्रित है तथा **सभी में सत्व** और **देवत्व** को बढ़ावा देने के लिए **अवचेतन व चेतन कार्यों** के मध्य अंतर को रेखांकित करती है।

प्रशासन और शासन व्यवस्था से जुड़े नैतिक मुद्दे

- सुगम्यता और जवाबदेही की कमी
- पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव
- अप्रभावी नेतृत्व
- निर्णय लेने में निष्पक्षता का अभाव
- भ्रष्टाचार

- **आगे की राह**
  - **भावनात्मक बुद्धिमत्ता:** यह प्रशासकों की अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने और लक्ष्यों/ उद्देश्यों के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ बनने में मदद कर सकती है।
  - **करुणा:** यह **मन की स्पष्टता** तथा **प्रेरणा** के माध्यम से पूर्वाग्रहों पर विजय प्राप्त करने में प्रशासकों की मदद कर सकती है।

1.4. चरित्र के बिना ज्ञान (Knowledge Without Character)

- **प्रस्तावना:** अवैध गतिविधियों के लिए डार्क वेब का दुरुपयोग जैसे उदाहरण चरित्र के बिना ज्ञान के हानिकारक प्रभावों को उजागर करते हैं।
- **चरित्र के बिना ज्ञान का उपयोग किए जाने पर उत्पन्न नैतिक मुद्दे/ चिंताएं:**
  - अन्यायपूर्ण निर्णय लेना
  - अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा

हितधारक

- नागरिक/ व्यक्ति/ समाज
- राज्य/सरकारें
- संस्थान

» उचित साधन (Means) और साध्य (End) के बीच अस्पष्टता
» जवाबदेही की कमी

आगे की राह			
ज्ञान को चरित्र के साथ जोड़ना	समालोचनात्मक विचारशीलता और बुद्धि का विकास करना	भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देना	स्व-हित और संकीर्ण मानसिकता को बदलना

2. नैतिकता और प्रौद्योगिकी (Ethics and Technology)

2.1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी नैतिकता (Ethics of Artificial Intelligence)

- **प्रस्तावना:** हमारे जीवन के कई हिस्सों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का समावेश हो गया है। इस कारण हमारे समक्ष इस तरह की असंख्य दुविधाएं पैदा हो गई हैं। इस संदर्भ में, यूनेस्को इस बात पर विचार कर रहा है कि सरकार और टेक कंपनियों द्वारा AI का उपयोग किस तरह किया जाना चाहिए।

AI से जुड़ी नैतिक समस्याएं क्या हैं?

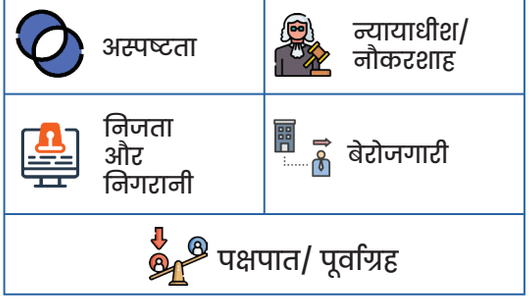

- **प्रमुख हितधारक और उनके हित:**
  - **उपयोगकर्ता:** अपने डेटा की निजता, सिस्टम आधारित पूर्वानुमान की सटीकता और सिस्टम द्वारा पक्षपातपूर्णता परिणाम की संभावना से जुड़े मुद्दे।
  - **डेवलपर्स:** AI सिस्टम को विकसित करने और संचालित करने की लागत तथा सिस्टम की सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं।
  - **निवेशक:** AI सिस्टम के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
  - **विनियामक:** AI सिस्टम के विकास और उपयोग को विनियमित करने वाले कानून व नियम निर्धारित करना।
  - **नागरिक समाज संगठन (CSOs):** AI सिस्टम के दायित्वपूर्ण विकास और उपयोग पर जोर देना।

आगे की राह: यूनेस्को में AI के नैतिक उपयोग के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों को अंतिम रूप दिया है

2.2. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानवाधिकार (AI and Human Rights)

- **प्रस्तावना:** मानवाधिकारों को लेकर किए एक ऑनलाइन वार्षिक अध्ययन **"फ्रीडम ऑन द नेट"** में कहा गया है कि ऑनलाइन क्षेत्र में मानवाधिकारों की स्थिति बिगड़ रही है। यह निष्कर्ष इस बात पर प्रकाश डालता है कि **AI प्रौद्योगिकियों** में न केवल **मानव अधिकारों को बढ़ावा देने** बल्कि **उनका उल्लंघन करने की भी क्षमता** है। इन दोनों के बीच मौजूद नाजुक संतुलन की समझ समय की मांग है।

हितधारक

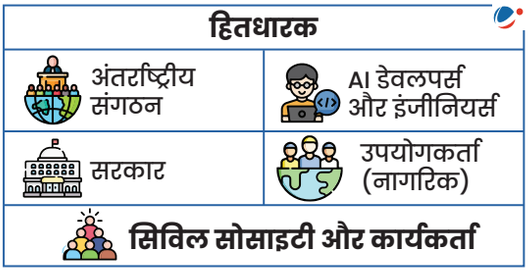

- **क्या AI मानवाधिकारों को नुकसान पहुंचाता है?**
  - **गलत सूचना/ दुष्प्रचार:** उदाहरण: यूट्यूब का एल्गोरिथ्म गलत सूचना फैलाने में मदद करता है।
  - **भेदभाव:** उदाहरण: अमेज़ॅन का जेंडर-बायस्ड नियुक्ति टूल।

- **संघ बनाना और सभा करना:** उदाहरण: मेटा की फेशियल रिकग्निशन प्रणाली।
- **डिजिटल चुनाव हस्तक्षेप:** उदाहरण: ट्विटर बॉटस चुनाव के दौरान दुष्प्रचार फैला रहे हैं।

◇ **AI मानवाधिकारों को कैसे मजबूत करता है?**

- **समानता का अधिकार:** AI एल्गोरिदम को **निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं में पूर्वाग्रहों को कम करने** के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है।
- **निजता की सुरक्षा:** AI प्रौद्योगिकियों का उपयोग **उन्नत निजता सुरक्षा तंत्र** विकसित करने के लिए किया जा सकता है।
- **जवाबदेही सुनिश्चित करना: AI-संचालित निगरानी तकनीक का उपयोग** सरकारों और संस्थानों को जवाबदेह बनाए के लिए किया जा सकता है।
- **शासन को सक्षम बनाकर सामूहिक अधिकारों की रक्षा करना**: AI कानून प्रवर्तन एजेंसियों को **संसाधनों को अधिक प्रभावी ढंग से आवंटित करते हुए, कानून प्रवर्तन में पूर्वानुमानित पुलिसिंग में मदद कर सकता है।**

◇ **आगे की राह**

- AI विनियमों में मानवाधिकार सिद्धांतों को शामिल किया जाना चाहिए और मानवाधिकारों का सम्मान करने के लिए सार्वजनिक एवं हितधारकों की भागीदारी को सम्मिलित करना चाहिए।

2.3. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी (AI and Creativity)

◇ **प्रस्तावना:** कला से संबंधित गतिविधियों में AI का एकीकरण नैतिक और कानूनी प्रश्न खड़े करता है। उदाहरण के लिए- मृत गायकों की आवाज फिर से उत्पन्न करना।

◇ **AI से जुड़े नैतिक मुद्दे**

- **कलात्मक पवित्रता के लिए सम्मान:** जब **मानव-निर्मित** और **AI-जनित कृतियों** के बीच **अंतर करना मुश्किल** हो, तब AI-जनित कृतियां **कलात्मक अभिव्यक्ति की प्रामाणिकता और पवित्रता को संरक्षित करने के बारे में चिंताएं** बढ़ा सकती हैं।
- **सहमति और स्वामित्व:** इनमें **बौद्धिक संपदा, स्वामित्व और व्यक्तिगत डेटा या क्रिएटिव योगदान का उपयोग करने के लिए सहमति** से संबंधित मुद्दे शामिल हैं।
- **संरक्षण बनाम दोहन:** यदि AI **मृत हस्तियों की आवाज़ों या कलात्मक शैलियों को पुनर्जीवित** कर सकता है, तो इस पर नैतिक प्रश्न उठता है कि **क्या ऐसे प्रयासों का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है या व्यावसायिक लाभ के लिए व्यक्तियों की पहचान और विरासत का दोहन** करना है।
- **क्रिएटिविटी और नवाचार पर प्रभाव:** इससे संभावित रूप से **होमोजेनाइजेशन, विविधता की हानि, या फॉर्मूला आधारित दृष्टिकोण पर निर्भरता** हो सकती है।
- **नियामक निगरानी:** नियामक प्रावधानों की कमी के कारण निजता की सुरक्षा, भेदभाव को रोकने तथा विकसित प्रौद्योगिकियों के मामले में नियमों के पालन, प्रवर्तन और अनुकूलन में चुनौतियां उत्पन्न होती हैं।

आगे की राह

AI-संचालित क्रिएटिव प्रॉसेस में पारदर्शिता और प्रकटीकरण सुनिश्चित करना चाहिए।	कलात्मक अभिव्यक्ति की प्रामाणिकता और अखंडता को बनाए रखना, क्रिएटर्स के योगदान को स्वीकार करना और अपनी कृतियों के नियंत्रण एवं उचित रूप से श्रेय दिए जाने के उनके अधिकारों का सम्मान करना चाहिए।	AI के नैतिक उपयोग के लिए नैतिक दिशा-निर्देश और सर्वोत्तम अभ्यास विकसित किए जाने चाहिए।	AI-संचालित क्रिएटिव परियोजनाओं में शामिल व्यक्तियों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए नियामक निगरानी और शासन प्रणाली का सहयोग करना चाहिए।	AI नैतिकता की समझ बढ़ाने के लिए शिक्षा और जागरूकता को बेहतर करना चाहिए।

2.4. ऑनलाइन गेमिंग में नैतिकता (Ethics of Online Gaming)

- **प्रस्तावना:** ऑनलाइन गेमिंग उद्योग ने भारतीय गेमिंग कन्वेंशन (IGC) में एक **स्वैच्छिक 'ऑनलाइन गेमिंग मध्यस्थों के लिए आचार संहिता'** पर हस्ताक्षर किए।
- **ऑनलाइन गेमिंग मध्यस्थों (OGI) के लिए आचार संहिता के बारे में**
- इस दस्तावेज पर **फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स (FIFS), ई-गेमिंग फेडरेशन (EGF) और ऑल-इंडिया गेमिंग फेडरेशन (AIGF)** ने हस्ताक्षर किए हैं।

हितधारक

गेम डेवलपर्स	विज्ञापनदाता/ प्रायोजक
विज्ञापनदाता/ प्रायोजक	गेम खेलने वाले
विनियामक निकाय	

- **उद्देश्य:** उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, **भारत में ऑनलाइन गेम के लिए एक स्वस्थ वातावरण बनाना** और जिम्मेदार गेमिंग की संस्कृति को विकसित करना, **उद्योग मानकों को ऊंचा उठाना** और हस्ताक्षरकर्ताओं की व्यावसायिक प्रथाओं में एकरूपता लाना।
- **इन चिंताओं को दूर करने के लिए संहिता में उल्लिखित प्रमुख सिद्धांत**
  - जिम्मेदार गेमिंग
  - नाबालिगों के लिए सुरक्षा उपाय (आयु सीमा)
  - निष्पक्ष गेमिंग
  - वित्तीय सुरक्षा उपाय

एक नैतिक ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रक के लिए आगे की राह

उपभोक्ता संरक्षण	समग्रता	नीतिगत उपाय	जवाबदेह विज्ञापन और मार्केटिंग को बढ़ावा देना

2.5. धार्मिक विश्वास और वैज्ञानिक प्रगति (Religious Beliefs and Evolving Scientific Advancements)

- **प्रस्तावना:** धर्म और विज्ञान के बीच संबंध काफी गतिशील है। इससे संबंधित विमर्श लंबे समय से तनाव, बहस और अक्सर संघर्ष का कारण रहा है। दोनों ही संसार और वास्तविकता या सत्य को समझने के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। धार्मिक विचारों को अक्सर ज्ञान के नए क्षेत्रों और वैज्ञानिक प्रगति से चुनौती मिलती है। इन चुनौतियों के बावजूद, धर्म लोगों के जीवन में एक अभिन्न और रचनात्मक भूमिका निभाता है।
- **वैज्ञानिक प्रगति ने धार्मिक विश्वास को कैसे चुनौती दी है?**
  - **जीवन और मृत्यु:** इस दुनिया में जीवन के प्रादुर्भाव की अवधारणा को जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति से चुनौती मिल रही है।
  - **विकास: चार्ल्स डार्विन** का **थ्योरी ऑफ इवॉल्यूशन** (प्राकृतिक चयन के विचार को बढ़ावा देने वाला सिद्धांत) पृथ्वी पर मानव जीवन की उत्पत्ति और विकास के बारे में कई धार्मिक मान्यताओं को खारिज करता है।
  - **अंतरिक्ष: बिग बैंग सिद्धांत** से पता चलता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.7 अरब साल पहले एक विलक्षण घटना से हुई थी।
- **वैज्ञानिक समीक्षा/ विश्लेषण: सीमाएं और हद**
  - **अनुभवजन्य साक्ष्य की सीमाएं**
  - **चेतना, आध्यात्मिकता** जैसे विभिन्न मानव-विशिष्ट तत्वों को **वैज्ञानिक समीक्षा के द्वारा अनुभवजन्य रूप से मापा या तौला नहीं जा** सकता है।
  - जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति ने **जेनेटिक इंजीनियरिंग की सीमाओं** तथा मानव विकास और **प्राकृतिक व्यवस्था पर इसके संभावित प्रभावों** के बारे में जटिल नैतिक प्रश्न भी उठाए हैं।
  - इसके अलावा, वैज्ञानिक विकास क्रम से आज भी **आत्मा की प्रकृति, पुनर्जन्म के अस्तित्व** या **मानव अस्तित्व के अंतिम उद्देश्य** जैसे कई प्रश्नों या रहस्यों का उत्तर नहीं मिला है।
- **आगे की राह: आस्था और तर्क में सामंजस्य –** बौद्धिक विनम्रता को अपनाना, संवाद और सहयोग, आलोचनात्मक बुद्धि का विकास आदि।

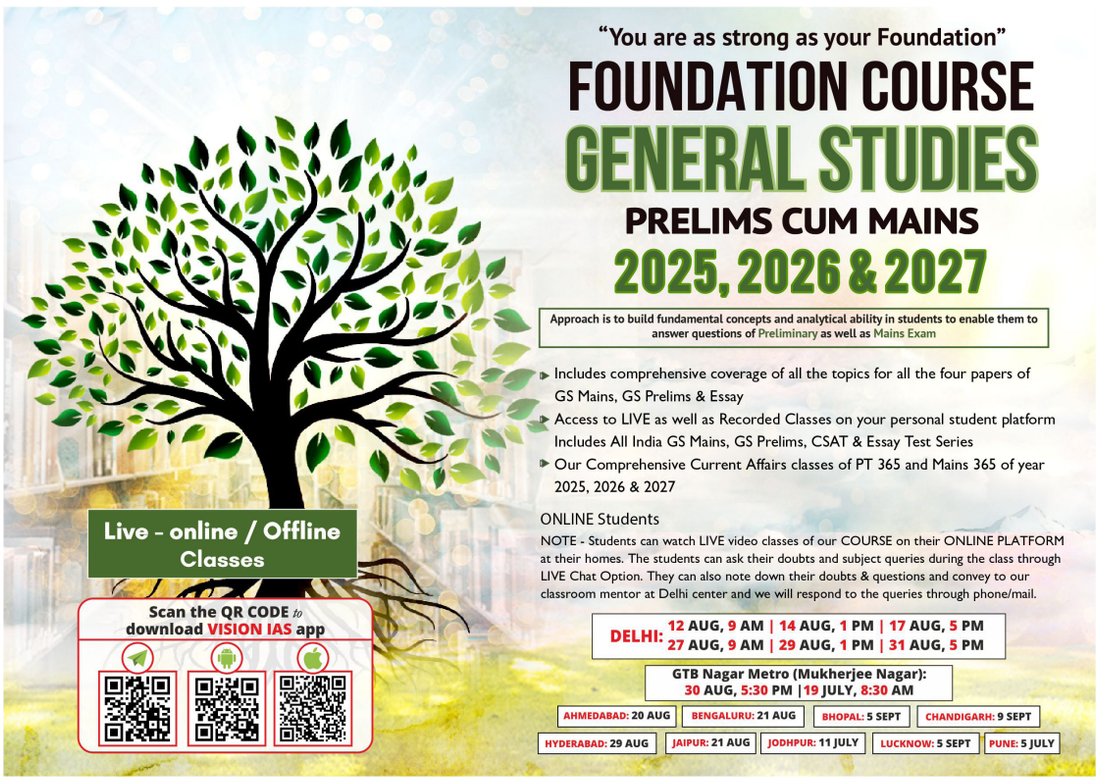

3. नैतिकता और समाज (Ethics And Society)

3.1. नज यानी सौम्य प्रोत्साहन की नैतिकता (Ethics of Nudge)

- **प्रस्तावना:** हाल ही में, हरियाणा सरकार ने **प्राण वायु देवता पेंशन योजना** शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य यहां के निवासियों को प्राचीन वृक्षों और पर्यावरण के संरक्षण हेतु प्रोत्साहित करना है।
- **सौम्य प्रोत्साहन या नज (Nudge) क्या है?** नज एक प्रकार का हस्तक्षेप है जो लोगो को धीरे-धीरे और विनम्रतापूर्वक वांछित कार्रवाई की ओर प्रोत्साहित करता है। इसके जरिए किसी भी विकल्प को प्रतिबंधित किए बिना या उनके आर्थिक प्रोत्साहनों में महत्वपूर्ण बदलाव किए बिना लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है।

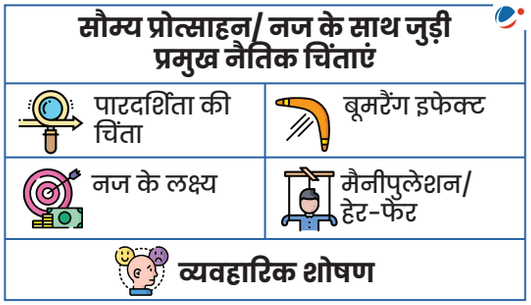

- **नज का महत्त्व:** कानून-व्यवस्था को बढ़ावा देना, केवल जनादेश, वित्तीय प्रोत्साहन या जागरूकता अभियानों की तुलना में ये (नज) अधिक प्रभावी, साक्ष्य-आधारित, और विभिन्न प्राथमिकताओं, मूल्यों और सांस्कृतिक संदर्भों के अनुकूल है।
- **आगे की राह:** सौम्य प्रोत्साहन पारदर्शी होने चाहिए, गुप्त या छुपे हुए नहीं और उन लोगों के हित में होने चाहिए जिन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही, ये उनके मूल्यों के अनुरूप होने चाहिए।

3.2. बुनियादी जरूरतें और दुर्लभ संसाधन (Bare Necessities and Scarce Resources)

- **प्रस्तावना:** हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत 80 मिलियन प्रवासियों और असंगठित श्रमिकों को राशन कार्ड जारी करने का आदेश दिया।
- **बुनियादी जरूरतों को उपलब्ध कराने के लिए सरकार जिम्मेदार क्यों है?**
  - **सामाजिक अनुबंध** का सिद्धांत: यह बताता है कि सरकार का अपने नागरिकों के साथ किस प्रकार का संबंध होना चाहिए।
  - **संवैधानिक आदेश: अनुच्छेद 39(a)** और **अनुच्छेद 47 पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने** की परिकल्पना करता है।
  - **अधिकारों की विस्तारित प्रकृति:** उदाहरण के लिए- शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, आदि।
  - **अंतर्राष्ट्रीय दायित्व या प्रतिबद्धताएं:** जैसे- संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य (SDGs)।

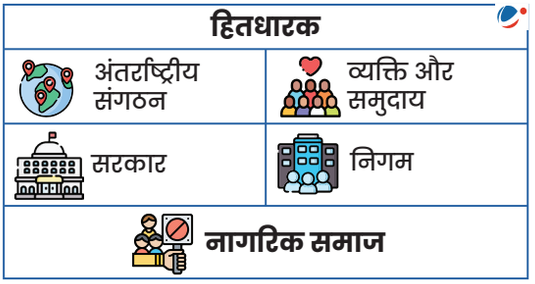

- **सरकार द्वारा बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के लिए नैतिक दृष्टिकोण कौन-से हैं?**
  - न्याय-आधारित दृष्टिकोण, उपयोगितावाद, क्षमता दृष्टिकोण, धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण, अधिकार-आधारित दृष्टिकोण।

3.3. खुशहाली (Happiness)

- **प्रस्तावना: वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट (WHR) 2024 में फिनलैंड** लगातार सातवें वर्ष रैंकिंग में शीर्ष पर रहा, जबकि **भारत 143 देशों में से 126वें स्थान पर** था।
- **खुशहाली की परिभाषा क्या है?** खुशहाली की कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है। हालांकि, **आनंद या परम आनंद,** भारतीय संस्कृति में गहराई से निहित एक विचार है।
- **खुशहाली या खुशी की व्याख्या करने वाले विभिन्न दार्शनिक सिद्धांत:** उपनिषद परंपरा, एपिक्यूरियनवाद (एपिकुरस), बौद्ध धर्म।
- **नैतिक मूल्य खुशहाली कैसे पैदा करते हैं?:** परोपकारिता और करुणा, ईमानदारी एवं प्रामाणिकता, निष्पक्षता और न्याय, स्व-नियमन और अनुशासन।

खुशहाली: दूरगामी प्रभावों के साथ एक बहुआयामी खोज

- **व्यक्तिगत स्तर पर खुशहाली के लाभ:** खुशी बेहतर मानसिक स्वास्थ्य, अधिक उत्पादकता और मजबूत एवं अधिक संतोषजनक संबंधों से निकटता से जुड़ी हुई है।
- **सामाजिक-स्तर पर प्रभाव:** सामाजिक स्तर पर, **खुशहाली अपनेपन और सामाजिक एकजुटता की भावना को बढ़ावा** देती है। इससे अपराध दर को कम करने में मदद मिलती है।
- **राष्ट्रीय स्तर के निहितार्थ:** खुशहाली राजनीतिक स्थिरता, टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने और आर्थिक विकास से जुड़ी है।
- **वैश्विक स्तर पर व्यापक प्रभाव:** अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो, खुशहाली दुनियाभर में शांति और सहयोग बढ़ाने के साथ-साथ संसाधनों के न्यायसंगत वितरण और गरीबी को कम करने से भी जुड़ी है।

3.4. उपभोक्तावाद (Consumerism)

- **प्रस्तावना:** पिछले कुछ दशकों में यह देखा गया है कि लोगों में उपभोक्तावाद की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यह प्रवृत्ति पश्चिम में अधिक प्रचलित थी, लेकिन अब भारत जैसे विकासशील देश भी इसके प्रभाव में आ गए हैं।
- **उपभोक्तावाद के कारण नैतिक मूल्यों का पतन**
  - » अवांछनीय साधनों को बढ़ावा, अधीनस्थ चेतना, समता/ समानता (Equity/ Equality),समाज के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन, स्वार्थ उत्पन्न करना, पर्यावरणीय नैतिकता का उल्लंघन।
- **आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच संतुलन बनाना:**
  - » नैतिक उपभोक्तावाद को अपनाना, नैतिक और उपभोक्ता शिक्षा, कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, विज्ञापनों/ इंफ्लुएंसर्स पर अंकुश लगाना, रोल मॉडल स्थापित करना, सरकार/ प्राधिकारियों द्वारा प्रयास, नागरिक समाज संगठन का प्रयास।

प्रमुख हितधारक

- उपभोक्ता
- पर्यावरण
- सरकार/ प्राधिकारी
- ब्रांड्स
- विज्ञापन कंपनियां

3.5. सरकारी एग्जाम में अनुचित साधनों (चीटिंग) का प्रयोग {Use of Unfair Means (Cheating) In Public Examination}

- **प्रस्तावना:** हाल ही में, संसद ने **लोक परीक्षा (कदाचार रोकथाम) अधिनियम (PEA), 2024** पारित किया।
- **परीक्षाओं में नकल के विरुद्ध नैतिक तर्क**
  - » कर्त्तव्य-मूलक नैतिकता (Deontological ethics) का उल्लंघन, उपयोगितावाद के विरुद्ध, निरपेक्ष आदेश (Categorical Imperative) का उल्लंघन है, निष्पक्षता के सिद्धांत के रूप में न्याय, सद्गुण नीतिशास्त्र (Virtue Ethics)।

हितधारक

- सरकार और लोक प्राधिकरण
- छात्र
- समाज
- परीक्षा केंद्र, सेवा प्रदाता

- **परीक्षाओं में नकल के कारण:**
  - » अस्पष्ट रवैया, प्रतिस्पर्धा और सामाजिक दबाव, न्याय में देरी, उच्च-स्तरीय तकनीक, संस्थागत उदासीनता, महत्वाकांक्षा और स्वहित की चाह, परोपकारी प्रकृति की चीटिंग।
- **"लोक परीक्षा (कदाचार रोकथाम) अधिनियम, 2024" सरकारी एग्जाम में अनुचित साधनों के उपयोग को कैसे रोक पाएगा?**
  - » अधिनियम में **15 कृत्यों को सूचीबद्ध** किया गया है जिनमें **सरकारी एग्जाम में "मौद्रिक या अनुचित लाभ के लिए"** अनुचित साधनों का उपयोग किया जाता है।

आगे की राह

प्रौद्योगिकी आधारित समाधान	चीटिंग को सामाजिक कलंक मानना	मूल्य आधारित शिक्षा	माता-पिता की भागीदारी

3.6. व्यक्तिगत सामाजिक उत्तरदायित्व (Individual Social Responsibility: ISR)

- **प्रस्तावना:** एडेलगिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 के अनुसार, 119 भारतीय बिजनेस टायकून्स ने वित्त वर्ष 2023 में 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक का दान दिया। इन्होंने सम्मिलित रूप से परोपकारी गतिविधियों के लिए 8,445 करोड़ रुपये का योगदान दिया। यह समाज में सामाजिक उत्तरदायित्व की भूमिका पर प्रकाश डालता है।
- **व्यक्तिगत सामाजिक उत्तरदायित्व (ISR) क्या है? सामाजिक उत्तरदायित्व** एक नैतिक ढांचा है जहां संगठन और व्यक्ति व्यापक कल्याण के लिए कार्य करने तथा समाज व पर्यावरण को क्षति पहुंचाने से बचने का प्रयास करते हैं।
- **ISR कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) से किस प्रकार भिन्न है:** पैमाना व विस्तार, योगदान की प्रकृति, प्रेरक, सार्वजनिक ज्ञान।

हितधारक और उनके हित

	जरूरतमंद व्यक्ति: करुणा और मदद की आशा करता है
	सरकार: जान बचाने से फायदा, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना लक्ष्य
	पुलिस/ प्राधिकरण: जानकारी एकत्र करने और अच्छे लोगों का उत्पीड़न न हो यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है

- **भारत में ISR की आवश्यकता:** सार्वजनिक क्षेत्रक की प्रधानता, सतत विकास में वित्त-पोषण अंतराल, संसाधन पुनर्वितरण, पर्यावरणीय संधारणीयता, तकनीकी विकास।
- **ISR में संलग्न होने से संबंधित नैतिक विचार:**
  - » चयन की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक संवेदनशीलता, सामाजिक हित बनाम व्यक्तिगत हित, परिणाम-उन्मुख, सशक्तीकरण।

3.7. नेक व्यक्ति (Good Samaritans)

- **प्रस्तावना:** दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक सड़क/ राजमार्ग पर किसी घायल की मदद करना हर व्यक्ति का मुख्य कर्तव्य है।
- **गुड सेमेरिटन और भारत में कानूनी प्रावधान**
  - » सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने तदनुसार दिशा-निर्देश जारी किए, 2016 में, सुप्रीम कोर्ट ने इन दिशा-निर्देशों को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया, गुड सेमेरिटन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 में धारा 134A को जोड़ा गया।

- **कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जो गुड सेमेरिटन के कार्यों में बाधा डालते हैं**
  - उदासीनता, स्वार्थ/ असंवेदनशीलता, दर्शक की उदासीनता, जनता का प्रतिकूल निर्णय, कानूनी मुद्दे।
- **आगे की राह:** कानून में सुधार, गुड सेमेरिटन को पुरस्कार/ मान्यता, लोगों में जागरूकता का प्रसार, सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को अपनाना।

3.8. उत्पादों के विज्ञापन में इन्फ्लुएंसर की नैतिकता (Ethics of Influencer Endorsements)

- **प्रस्तावना:** केंद्र ने **मशहूर हस्तियों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए "एंडोर्समेंट्स नो-हाउ!"** शीर्षक से **एंडोर्समेंट दिशा-निर्देशों** का एक सेट जारी किया है।

प्रमुख हितधारक

उपभोक्ता	विनियामक निकाय
विज्ञापन एजेंसियां	मीडिया
ब्रांड/ कंपनियां	एजेंट/ प्रबंधक

- **इन्फ्लुएंसर एंडोर्समेंट के समक्ष नैतिक मुद्दे क्या हैं?**
  - विश्वास के दुरुपयोग का मामला, उत्तरदायित्व का अभाव, इन्फ्लुएंसर्स में उत्पाद की प्रकृति या गुणवत्ता की समझ का अभाव, हितों का टकराव और भ्रामक मार्केटिंग, बच्चों या किशोरों जैसे संवेदनशील समूहों को लक्षित करना, कुछ प्रौद्योगिकी कंपनियों, विज्ञापन एजेंसियों या मार्केटिंग इकोसिस्टम द्वारा निर्मित डार्क पैटर्न की पैठ में वृद्धि।
- **एंडोर्समेंट्स नो-हाउ: सेलिब्रिटी एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए दिशा-निर्देश**
  - सभी उत्पादों या ब्रांड्स के मौद्रिक या भौतिक लाभों का अनिवार्य प्रकटीकरण, अनिवार्य प्रकटीकरण में विफल रहने पर जुर्माना, स्पष्ट सूचना, उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से विज्ञापन करना।

आगे की राह

दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन	सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए आचार संहिता	सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर समूहों द्वारा स्व-विनियमन	आयु आधारित प्रतिबंध और पैरेंटल कंट्रोल्स को लागू करना	यथोचित सरकारी जांच-पड़ताल प्रणाली का निर्माण करना

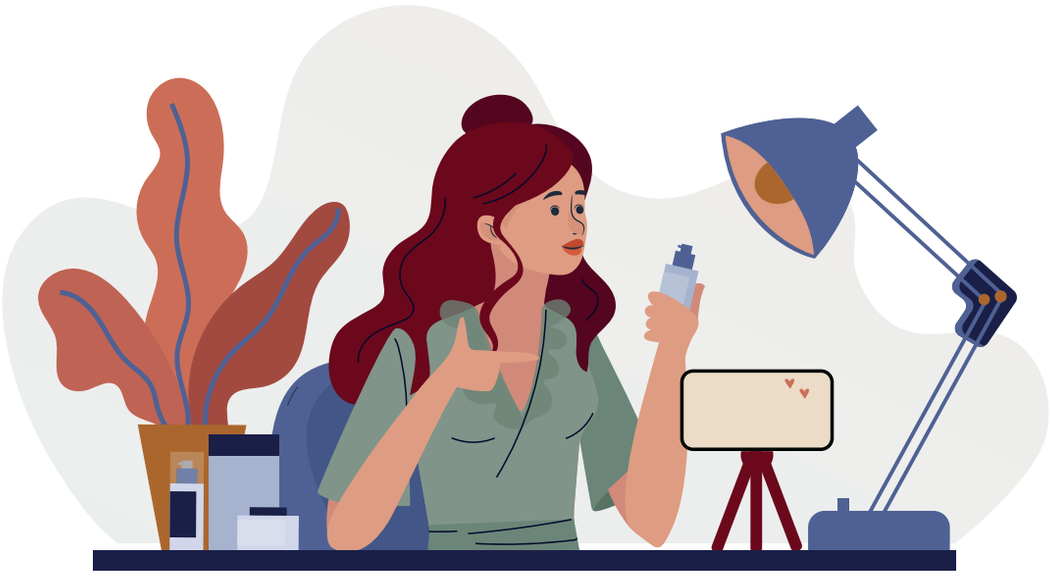

4. नैतिकता और व्यवसाय (Ethics And Business)

4.1. कम्पैशनेट कैपिटलिज्म या परोपकारी पूंजीवाद (Compassionate Capitalism)

- **प्रस्तावना:** हाल ही में, इंफोसिस कंपनी के संस्थापक नारायण मूर्ति ने भारतीय कंपनियों में शीर्ष अधिकारियों और निचले स्तर के कर्मचारियों के बीच मौजूद आय के स्तर में असमानता को लेकर चिंता जताई है। साथ ही, उन्होंने इस समस्या का समाधान करने के लिए कम्पैशनेट कैपिटलिज्म को अपनाने का आह्वान किया है।
- **कम्पैशनेट कैपिटलिज्म या परोपकारी पूंजीवाद** के बारे में: पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जहां **निजी अभिकर्ता अपने हितों के अनुरूप अपनी संपत्ति का स्वामित्व धारण करते हैं और उस पर नियंत्रण** रखते हैं। अर्थव्यवस्था के इस मॉडल में मांग और आपूर्ति द्वारा स्वतंत्र रूप से बाजार में कीमतों का निर्धारण समाज के सर्वोत्तम हितों की पूर्ति के लिए किया जाता है।

कम्पैशनेट कैपिटलिज्म से जुड़ी नैतिक दुविधाएं
कर्मचारियों का कल्याण बनाम लाभ को अधिकतम करना
उपभोक्ताओं का हित बनाम लाभ-संचालित उत्पाद
पर्यावरणीय जिम्मेदारी बनाम लागत दक्षता
उच्च आय में प्रतिभा को आकर्षित करना बनाम आय में समानता
सामुदायिक जुड़ाव बनाम शेयरधारक रिटर्न

- **कम्पैशनेट कैपिटलिज्म के दर्शन में नीतिशास्त्र के विचारकों का योगदान**
  - **बौद्ध धर्म का प्रतीत्यसमुत्पाद:** यह आश्रित उत्पत्ति (प्रतीत्यसमुत्पाद) की अवधारणा पर आधारित है। इस दृष्टिकोण के तहत यह माना जाता है कि व्यक्ति एक-दूसरे पर तथा पृथ्वी पर अन्योन्याश्रित है।
  - **इमैनुअल कांट का निरपेक्ष आदेश (Categorical Imperative) का सिद्धांत:** कांट ने प्रत्येक व्यक्ति को केवल साधन के रूप में नहीं, बल्कि अपने आप में एक साध्य के रूप में मानने पर जोर दिया है।
  - **गांधीवादी विचार:** गांधीजी के सत्य, अहिंसा और सामाजिक-आर्थिक आदर्शों में सादा जीवन, सर्वोदय और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत शामिल था।
  - **अमर्त्य सेन की क्षमता दृष्टिकोण (Capability Approach):** क्षमता दृष्टिकोण लोगों की क्षमताओं और स्वतंत्रता के आधार पर व्यक्तिगत कल्याण और सामाजिक नीतियों का मूल्यांकन करता है, न कि केवल मौद्रिक संवृद्धि के आधार पर।
- **वे प्रथाएं जो पूंजीवाद को विभिन्न हितधारकों के प्रति उदार बनाती हैं**
  - **कर्मचारी:** खुली और लचीली कार्य संस्कृति, संवृद्धि के लिए समान अवसर, उदार नेतृत्व को बढ़ावा देना।
  - **पर्यावरण:** पर्यावरण लेखांकन, चक्रीय आर्थिक मॉडल को अपनाना।
  - **समाज:** कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR), विकास से उत्पन्न धन का पुनर्वितरण, सामाजिक जरूरतों को पूरा करना।

4.2. खाद्य सेवा और सुरक्षा की नैतिकता (Ethics of Food Service and Safety)

- **प्रस्तावना:** हाल ही में, MDH और एवरेस्ट के कई मसालों में **कार्सिनोजेनिक अर्थात् कैंसरकारी कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड** पाए गए। यह भी पाया गया कि **नेस्ले इंडिया** भारत में **शिशुओं को दिए जाने वाले दूध में चीनी** का मिश्रण करता है, लेकिन यूरोप में नहीं। ये उदाहरण खाद्य उद्योग में अपर्याप्त मानकीकरण और कंपनियों की ओर से नैतिक पहलूओं की अनदेखी जैसे मुद्दों को उजागर करते हैं।

हितधारक	
उपभोक्ता	कंपनियां/ व्यवसाय
सरकार/ नियामक	सोसायटी/ NGO/ अंतर्राष्ट्रीय संगठन

- **खाद्य नैतिकता (Food Ethics) क्या है?:** खाद्य नैतिकता **खाद्य उत्पादन और उपभोग की नैतिकता** से संबंधित है। खाद्य सेवा की नैतिकता में ऐसे नैतिक सिद्धांत और मानक शामिल हैं जो खाद्य सेवा उद्योग और खाद्य मूल्य श्रृंखला में अपनाए जाने वाले आचरण हेतु मार्गदर्शन करते हैं।
- **खाद्य सेवा नैतिकता के प्रमुख सिद्धांत:** न्याय, स्वायत्तता (Autonomy),गैर-दुर्भावना (Non-maleficence), जवाबदेही और पारदर्शिता।
- **खाद्य सेवा और सुरक्षा में शामिल नैतिक दुविधाएं**
  - **सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपना:** खाद्य जनित रोगों और प्रकोप को रोकने तथा नियंत्रित करने की जिम्मेदारी किसे लेनी चाहिए?
  - **वित्तीय बाधाएं बनाम खाद्य सुरक्षा:** विशेष रूप से छोटे पैमाने के उत्पादकों और प्रसंस्करणकर्ताओं के समक्ष यह सवाल उठता है कि **खाद्य सुरक्षा उपायों की लागत तथा लाभों को कैसे संतुलित किया जाए।**
  - उपभोक्ताओं की पसंद और नापसंद का सम्मान करना।
  - **वास्तविक हितधारकों की रक्षा करना:** सार्वजनिक हित या जवाबदेही से समझौता किए बिना, खाद्य जनित घटनाओं में शामिल **व्यक्तियों या व्यवसायों की निजता और गोपनीयता की रक्षा करना।**
  - **सुरक्षा मानकों को सार्वभौमिक रूप से लागू करना।**

आगे की राह

उपभोक्ताओं को प्रेरित करना: इसके तहत निर्णय या "चॉइस आर्किटेक्चर" वाले परिवेश **(उदाहरण के लिए- कैफेटेरिया, रेस्तरां मेनू, आदि में विकल्पों को दर्शाना)** में छोटे बदलाव किए जा सकते हैं।	**हितधारकों का दृष्टिकोण:** पर्यावरणविदों, उपभोक्ताओं और पशु उद्योगों सहित अन्य हितधारकों के दृष्टिकोण नैतिक निर्णय में महत्वपूर्ण होते हैं।	**खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और शिक्षा:** खाद्य संदूषण और खाद्य जनित बीमारियों के प्रकोप को रोकने के लिए खाद्य सेवा से जुड़े प्रतिष्ठानों हेतु खाद्य सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण तथा शिक्षा महत्वपूर्ण है।

4.3.. नैतिकता और उद्यमिता (Ethics and Entrepreneurship)

- **प्रस्तावना:** हाल ही में, एक ज्यूरी ने **'40 अंडर फोर्टी'** के 10वें संस्करण के प्रकाशन के लिए कॉर्पोरेट इंडिया के सबसे प्रतिभाशाली युवा लीडर्स को सम्मानित करने हेतु एक बैठक का आयोजन किया। ज्यूरी के एक सदस्य ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कुछ युवा उद्यमियों ने न केवल पेशेवर और व्यावसायिक कौशल का प्रदर्शन किया है, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी कुछ कदम उठाए हैं।

हितधारक

निवेशक	उद्यमी
उपभोक्ता	व्यापार भागीदार डीलर
सरकार/नियामक प्राधिकरण	

- **उद्यमियों के सामने आने वाले नैतिक मुद्दे**
  - **हितों का टकराव:** उद्यमियों को अक्सर कंपनी की लाभप्रदता बनाए रखने और सामाजिक प्रभाव के बीच टकराव का सामना करना पड़ता है (उदाहरण के लिए, लिज्जत पापड़ की मशीनीकरण दुविधा)।
  - **पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी:** उद्यमियों द्वारा पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी को अभी भी प्राथमिकता में नहीं रखा जाता है। उदाहरण के लिए- 2019 में, **रिलायंस इंडस्ट्रीज** पर पारिस्थितिक-तंत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए जुर्माना लगाया गया था।
  - **गलत कार्य पद्धतियां अपनाना:** कभी-कभी उद्यमी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गलत कार्य पद्धतियां अपनाते हैं, जैसे- निवेश आकर्षित करने के लिए व्यवसाय के वित्तीय विवरण में हेरफेर करना, उदाहरण के लिए- **सत्यम घोटाला 2009** (ऑडिट धोखाधड़ी)।

- **कार्य संस्कृति/ कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार:** समय पर कार्य पूरा करने के लिए कई बार मैनेजर्स कर्मचारियों से अतिरिक्त काम करवाते हैं। इससे कर्मचारियों में असंतोष उत्पन्न होता है।

◇ **नैतिक उद्यमिता के लिए प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत**

- **उपयोगितावादी नैतिकता:** ऐसे कार्यों का समर्थन करना, जो खुशी या आनंद को बढ़ावा दें और ऐसे कार्यों का विरोध करना, जो दुख या हानि का कारण बनें।
- **कर्तव्यशास्त्र की नैतिकता:** इमैनुअल कांट की नैतिकता के सिद्धांत के अनुसार, तर्कसंगत मनुष्यों को परिणाम की परवाह किए बिना अपने **नैतिक दायित्वों का पूरी निष्ठा से पालन करना चाहिए।**
- **पुण्य नैतिकता:** इस बात पर जोर दिया गया है कि ईमानदारी, साहस, न्याय, दान आदि गुणों का पालन करने से व्यक्ति एक **स्वीकार्य** और **धार्मिक** जीवन जीता है।
- **हितधारक सिद्धांत:** इस सिद्धांत के तहत यह तर्क दिया जाता है कि किसी फर्म को केवल शेयरधारकों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी हितधारकों के लिए मूल्य सृजित करना चाहिए।

उद्यमशीलता में नैतिक सिद्धांतों को समायोजित करने के तरीके

लाभ और उद्देश्य में संतुलन: उदाहरण के लिए- **ई-हेल्थपॉइंट उद्यम,** ग्रामीण या सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों को प्राथमिक स्वास्थ्य परामर्श प्रदान करता है।	**हितधारकों की सहभागिता/ मुक्त संचार को बढ़ावा देना: उदाहरण के लिए- टाटा स्टील** ने एक प्रभावी हितधारक सहभागिता प्रक्रिया विकसित की है।	**कच्चे माल की नैतिक सोर्सिंग:** उदाहरण के लिए- प्रसिद्ध आइसक्रीम निर्माता **बेन एंड जेरी की निर्माण सामग्री के नैतिक स्रोत के प्रति लंबे समय से प्रतिबद्धता है।**	**नेतृत्व की ओर से उदाहरण:** जैसे- 2020 में, विप्रो लिमिटेड ने सहयोगी फर्मों के साथ मिलकर कोविड-19 के प्रकोप से निपटने के लिए 1,125 करोड़ रुपये का योगदान दिया था।

4.4. श्रम नैतिकता और लंबे कार्य घंटे (Labour Ethics and Long Work Hours)

◇ **प्रस्तावना:** नारायण मूर्ति के सप्ताह में 70 घंटे कार्य करने के सुझाव ने श्रमिकों के साथ बर्ताव पर ध्यान केंद्रित करते हुए श्रम नैतिकता पर बहस छेड़ दी।

◇ **ओवरटाइम और लंबे कार्य घंटों के विरुद्ध नैतिक चिंताएं:**

- **गैर-दुर्भावनापूर्णता के नैतिक सिद्धांत का उल्लंघन:** इस सिद्धांत के अनुसार इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि दूसरों को नुकसान न पहुंचे। लंबे समय तक काम करने से थकावट होती है जिसके परिणामस्वरूप **चिकित्सीय लापरवाही और चेरनोबिल, अंतरिक्ष शटल चैलेंजर दुर्घटना जैसी आपदाएं घटित** हो सकती हैं।
- **स्वास्थ्य से ऊपर धन को वरीयता देना:** अतिरिक्त ओवरटाइम आय का चयन करना कर्मचारी के **शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य** से समझौता करता है। जैसे निवेश बैंकिंग में जॉब बर्नआउट (काम से जुड़ा एक प्रकार का तनाव)।
- **सिद्धांतों के ऊपर लाभ को वरीयता देना:** लंबे कार्य घंटों का आदेश देना **टिकाऊ कार्य संस्कृति** के विरुद्ध है। टिकाऊ कार्य संस्कृति के अंतर्गत **व्यवसाय श्रमिकों के स्वास्थ्य के प्रति सचेत** रहते हैं।
- **पारिवारिक एवं सामाजिक मूल्यों का क्षरण:** व्यक्तिगत संबंधों और व्यापक सामुदायिक संबंधों के लिए समय न होने के कारण इन मूल्यों का क्षरण होता है।
- **समाजवादी और लैंगिक नैतिकता के विरुद्ध:** लंबे कार्य घंटों के कारण कुछ सीमित श्रम बल वर्ग के लिए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। यह **उन महिलाओं के लिए लाभकारी रोजगार के अवसरों को सीमित** करता है जो जिम्मेदारी के दोहरे बोझ के कारण कम घंटे की शिफ्ट में काम करना पसंद करती हैं।

हितधारक और उनके हित

कर्मचारी: लाभकारी रोजगार, अच्छी कार्य दशाएं और **कार्य-जीवन संतुलन।**	**नियोक्ता/ उद्योगपति: संगठनात्मक दक्षता,** लाभ और सतत मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देना।	**प्रबंधन:** विशेषकर स्वास्थ्य देखभाल और कानून प्रवर्तन जैसे क्षेत्रकों में लंबे समय तक काम करने को **पेशेवर जिम्मेदारी** के रूप में देखा जाता है।	**निवेशक:** कम समयावधि में अपने निवेश पर अधिकतम रिटर्न प्राप्त करना। **नैतिक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार व्यवसायों** में निवेश करना।	**श्रम संगठन:** श्रमिकों के लिए सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों और उचित कार्य घंटों के साथ-साथ उनके **बेहतर अधिकारों** के लिए बातचीत करना।	**श्रम नियामक निकाय: श्रम कानूनों,** नियमों, विनियमों और मानकों **को लागू करना** तथा श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देना।	**सरकार:** सर्वांगीण मानव पूंजी विकास के साथ-साथ **आर्थिक विकास** को बढ़ावा देना।

आगे की राह

सरकार: काम के घंटों को विनियमित करने वाले श्रम कानूनों को उचित तरीके से लागू किया जाना चाहिए।	**व्यवसाय:** बेहतर कार्य संतुष्टि को बढ़ावा देने के लिए **कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण में निवेश करना चाहिए।**	**कर्मचारी:** पेशेवर और व्यक्तिगत लक्ष्यों के बीच संतुलन को बढ़ावा देने के लिए **समय का बेहतर प्रबंधन करना चाहिए।**	**कौशल उन्नयन:** कुशल कार्यबल की कमी को दूर करने के साथ-साथ श्रम के बेहतर विभाजन को बढ़ावा देना चाहिए।	**टिकाऊ कार्य संस्कृति के लिए** एक नैतिक ढांचे के निर्माण हेतु सरकार, व्यवसाय, श्रमिक संघों आदि जैसे कई हितधारकों के मध्य **सहयोग स्थापित किया जाना** चाहिए।

5. नैतिकता और मीडिया (Ethics And Media)

5.1 मीडिया एथिक्स और स्व-नियमन (Media Ethics and Self-Regulation)

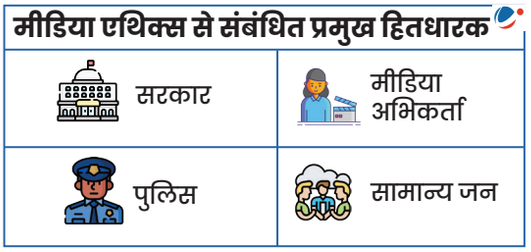

- **प्रस्तावना:** हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने **समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण (NBSA)** द्वारा **स्थापित स्व-नियामक तंत्र की अप्रभाविता** पर चिंता व्यक्त की है।
- **क्यों भारत में प्रभावी मीडिया एथिक्स की आवश्यकता सर्वोपरि होती जा रही है?**
  - **हितों का टकराव:** उस समय दुविधा उत्पन्न होती है जब किसी पत्रकार को ऐसे व्यक्ति की कहानी को कवर करने का जिम्मा सौंपा जाता है जिसके साथ उसके मौजूदा व्यक्तिगत संबंध हैं।
  - **गोपनीयता और सत्यनिष्ठा:** कई बार पत्रकारों ने निजी जीवन में किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत आचरण से संबंधित तथ्यों पर आधारित विशेष कहानियों को कवर किया है।
  - **पूर्वाग्रह और व्यक्तिपरकता:** खबरों को अक्सर एक विशेष शैली और पूर्वाग्रह में रिपोर्ट किया जाता है, जिससे न्यूज़ मीडिया के इरादों और उद्देश्यों पर संदेह उत्पन्न होने लगता है।
  - **उभरती दुविधाएं:** बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों द्वारा क्रॉस-मीडिया स्वामित्व धारण की प्रक्रिया के चलते जोखिमपूर्ण स्थितियों की उत्पत्ति में बढ़ोतरी हुई है।
  - **स्व-नियामक तंत्र की अप्रभाविता:** इसके पीछे मीडिया और बाज़ार का दबाव, अपर्याप्त जुर्माना जैसे कारण उत्तरदायी हैं।
- **आगे की राह**
  - **हचिन्स आयोग की रिपोर्ट में प्रेस की स्वतंत्रता** का समर्थन किया गया और **स्व-नियमन** को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है।
  - **जुर्माने का निर्धारण** गलती करने वाले चैनल द्वारा **अर्जित लाभ के अनुपात में किया जाना** चाहिए।
  - एक **सार्वभौमिक आचार संहिता** को लागू किया जाना चाहिए जो पत्रकारों के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों को निर्धारित करती हो:
    - अपने काम/ खबरों की सटीकता की **जिम्मेदारी लेना।**
    - दृश्य जानकारी सहित **कभी भी जानबूझकर तथ्यों या संदर्भ को विकृत न करना।**
    - **सार्वजनिक मामलों और सरकार पर निगरानी** बनाए रखने वाले के रूप में सेवा संबंधी अपने विशेष दायित्व की पहचान करना।
    - सत्य की खोज में पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए **वस्तुनिष्ठता** को एक आवश्यक तकनीक के रूप में अपनाना।

5.2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नैतिक उपयोग (Ethical Use of Social Media Platforms)

- **प्रस्तावना:** हाल ही में, भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान सोशल मीडिया के उपयोग के संबंध में आदर्श आचार संहिता और अन्य कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों का संज्ञान लिया है। इससे सोशल मीडिया के तेजी से बदलते स्वरूप के संदर्भ में 'सोशल मीडिया की सुपरिभाषित नैतिकता' के अभाव के बारे में प्रश्न उठते हैं।

- **सोशल मीडिया से संबंधित नैतिक बहस**
  - **व्यक्तिगत बनाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म:**
    - **निजता:** इससे उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा के उपयोग, भंडारण और साझाकरण के लिए सहमति के अभाव के कारण **गोपनीयता के उल्लंघन** संबंधी नैतिक मुद्दे सामने आते हैं।
    - **भेदभाव:** भले ही ये प्लेटफॉर्म्स कमजोर वर्गों की भागीदारी को बढ़ावा देते हैं, लेकिन इनमें ऐसी संस्थागत व्यवस्था का अभाव होता है जो यह सुनिश्चित करे कि वंचित तबके के विचारों तक समान और उचित रूप से पहुंचा जा सके।
  - **समाज बनाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म:**
    - **ध्रुवीकरण:** सार्वजनिक मंच (Public sphere) का विभाजन **'एक जैसी सोच रखने वालों के गुट'** (Echo chambers) और **'चुनिंदा जानकारी'** (Filter bubbles) को बढ़ावा देकर सूचना के ऐसे समूह बनाता है जहां समान विचार रखने वाले लोग जानबूझकर विपरीत या दूसरे विचारों (Alternative views) के संपर्क से बचते हैं।

हितधारक और उनके हित

उपयोगकर्ता/ ग्राहक/ नागरिक
- वर्चुअल सोशल कनेक्टिविटी
- गुणवत्तापूर्ण डिजिटल सेवाओं तक पहुंच

सोशल मीडिया मध्यवर्ती संस्था/ प्लेटफ़ॉर्म
- गुणवत्तापूर्ण सेवा वितरण
- ग्राहक आधार बढ़ाना - पहुंच
- लाभप्रदता और वित्तीय संवृद्धि

राजनीतिक दल
- लक्षित मतदाताओं तक पहुंच बढ़ाना
- चुनाव प्रचार हेतु एक साधन के रूप में सोशल मीडिया
- मतदाताओं की मांगों के अनुरूप होना

सरकार/ विनियामक इकोसिस्टम
- निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना
- अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना

अंतर्राष्ट्रीय संगठन
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नैतिक उपयोग पर वैश्विक सहमति
- यह सुनिश्चित करना कि प्लेटफ़ॉर्म का दुरुपयोग न हो

  - **नियामक इकोसिस्टम बनाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म:**
    - **राष्ट्रहित बनाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता:** विनियामक पारिस्थितिकी तंत्र उपयोगकर्ताओं की **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता** को अवरुद्ध कर सकता है।
    - **पारदर्शिता और जवाबदेही:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट के लिए **जवाबदेही तय करना या कंटेंट के स्रोत का पता लगाना मुश्किल** होता है।
- **आगे की राह: हितधारकों का आदर्श आचरण**
  - **कानूनी/ नियामक पारिस्थितिकी तंत्र:** प्लेटफॉर्म्स के **प्रत्यक्ष विनियमन के बिना** सोशल मीडिया की नैतिकता को बनाए रखने के लिए एक **सहायक पद्धति** की आवश्यकता है।
  - **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021-**
    - **विशेषताएं:** शिकायत अधिकारी कार्यालय, **शिकायत निवारण तंत्र,** मुख्य अनुपालन अधिकारी, **आचार संहिता, स्व-नियमन तंत्र** और सरकार द्वारा **निरीक्षण तंत्र।**
  - **स्वैच्छिक आचार संहिता** और प्रत्येक राजनीतिक दल के पास जिम्मेदार आचरण सुनिश्चित करने के लिए एक **आंतरिक आचार संहिता और एक स्व-विनियमन तंत्र** होना चाहिए।
- **समाज:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप **जवाबदेह** बनाना **सामूहिक जिम्मेदारी** है।

5.3 मीडिया ट्रायल की नैतिकता (Ethics of Media Trial)

- **प्रस्तावना:** ऐसा लगने लगा है कि वर्तमान समय में, मीडिया ने खुद को जांच और ट्रायल की शक्ति प्रदान कर दी है। इस संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कुछ दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए कहा है। इस दिशा-निर्देश में यह तय किया जाएगा कि पुलिस जांच के बारे में मीडिया को कैसे जानकारी देगी, जिससे मीडिया ट्रायल को रोका जा सके।
- **प्रमुख हितधारक और उनके हित**
  - **न्यायपालिका/ न्यायाधीश:** निष्पक्ष सुनवाई न्याय का आधार है। ऐसी किसी भी चीज़ से बचना चाहिए जो न्यायाधीशों को अभियुक्तों के प्रति पक्षपाती बना दे।

- **अभियुक्त/ परिवार के सदस्य:** ये लोग यह उम्मीद करते हैं कि मीडिया तथ्यों और आंकड़ों को गढ़े बिना ही खबर दिखाएगी।
- **पीड़ित/ परिवार के सदस्य:** पीड़ितों/ परिवार के सदस्यों को यह उम्मीद होती है कि उनकी पहचान/ व्यक्तिगत जानकारी मीडिया द्वारा उजागर नहीं की जाएगी। साथ ही, उन्हें उम्मीद रहती है कि मीडिया उन्हें न्याय दिलाने में मदद करेगी।
- **गवाह:** पूरी न्याय प्रणाली में गवाह की सुरक्षा और सकुशलता महत्वपूर्ण होती है।
- **मीडिया:** सत्यता की रिपोर्ट करना यानी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में कार्य करना। साथ ही, लोकप्रियता और दर्शकों की संख्या से जुड़े व्यावसायिक दृष्टिकोण का प्रबंधन करना।
- **व्यक्ति/ नागरिक:** आम जनता यह उम्मीद करती है कि सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण मुद्दों को प्राथमिकता दी जाए और पूर्वाग्रह, पक्षपात या किसी निहित स्वार्थ के बिना मीडिया द्वारा ईमानदारी से रिपोर्टिंग की जाए।

मीडिया ट्रायल से जुड़े प्रमुख नैतिक मुद्दे

- **निजता के अधिकार को खतरा:** प्रायः मीडिया ट्रायल में **आरोपी और पीड़ित की पहचान/ व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा** किया जाता है। इससे उस व्यक्ति की सार्वजनिक छवि नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है।
- **मीडिया की नैतिकता को कमज़ोर करता है:** मीडिया ट्रायल सत्य और जवाबदेही जैसी **मीडिया नैतिकता के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लंघन** करता है।
- **न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता:** यह **दोषी सिद्ध होने तक निर्दोष होने के सिद्धांत** को कमजोर करता है।
- **निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को कमजोर करना:** विचाराधीन मामलों पर चर्चा के दौरान मीडिया में विशेषज्ञों की राय **आरोपी/ पीड़ित के प्रति न्यायाधीशों की धारणा को प्रभावित** कर सकती है।

आगे की राह: उचित संतुलन स्थापित करना

अधिकारों के बीच संतुलन बनाना: संवेदनशील मामलों में, मीडिया मुकदमा खत्म होने तक कुछ पहलुओं पर रिपोर्टिंग में देरी कर सकता है।

स्व-विनियमन तंत्र को बढ़ावा देना: NBDSA जैसे संगठनों को व्यापक दिशा-निर्देश बनाने चाहिए।

मीडिया नैतिकता को लागू करना: भारतीय प्रेस परिषद को **पत्रकारिता आचार संहिता (2010) के कार्यान्वयन पर जोर** देना चाहिए और उसे प्रोत्साहित करना चाहिए।

5.4 सोशल मीडिया और सिविल सेवक (Social Media and Civil Servants)

- **परिचय:** सार्वजनिक सहभागिता और सूचना साझा करने के लिए सिविल सेवकों द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग।
- **सिविल सेवकों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग से संबंधित नैतिक मुद्दे**
  - **तटस्थता और अनामिता (Anonymity) का सिद्धांत:** सिविल सेवा मूल्यों के अनुसार, अधिकारियों को राजनीतिक रूप से तटस्थ होना चाहिए और पर्दे के पीछे रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।

हितधारक

- सिविल सेवक
- सहकर्मी/ समकक्ष
- नागरिक
- मीडिया
- सरकार

  - **सरकार के संसदीय स्वरूप के साथ असंगत:** सरकार के संसदीय स्वरूप में, सरकार एवं मंत्री चुने हुए प्रतिनिधियों के रूप में जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, वहीं नौकरशाह केवल अपने वरिष्ठ अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
  - **गोपनीयता और सुरक्षा:** सूचना के सार्वजनिक होने और उस तक अनधिकृत पहुंच का जोखिम।
  - **यह व्यक्ति की पेशेवर और निजी पहचान के बीच के अंतर को अस्पष्ट कर सकता है।** इससे, सिविल सेवकों के लिए अपनी पेशेवर और व्यक्तिगत गतिविधियों को अलग करना काफी मुश्किल हो जाता है।

» **अनुचित आत्म-प्रचार:** कई बार सिविल सेवक प्रसिद्धि का उपयोग खुद की पब्लिसिटी के लिए करते हैं। कई सिविल सेवक अपने काम के बारे में ऑनलाइन पोस्ट करते हैं। इसके बाद उनके प्रशंसक और फॉलोवर्स इन पोस्ट्स का प्रचार करते हैं जिससे उन सिविल सेवकों के प्रदर्शन के संबंध में एक पब्लिक नैरेटिव तैयार होता है।

आगे की राह: सोशल मीडिया पर सिविल सेवकों की उपस्थिति एवं उनकी भागीदारी के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कुछ बुनियादी मूल्य प्रस्तुत किए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं:

पहचान (Identity): हमेशा यह ध्यान में रखें कि आप कौन हैं, विभाग में आपकी क्या भूमिका है। आवश्यकता पड़ने पर डिस्क्लेमर का प्रयोग कर सकते हैं।

प्राधिकार (Authority): जब तक आपको अधिकार न दिया जाए तब तक कोई टिप्पणी और प्रतिक्रिया न दें।

प्रासंगिकता (Relevance): अपने क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर ही टिप्पणी करें तथा प्रासंगिक एवं उचित टिप्पणी करें।

पेशेवर व्यवहार (Professionalism): सोशल मीडिया पर पोस्ट करते समय विनम्र रहें, विवेकशील बनें और सभी का सम्मान करें। किसी भी व्यक्ति या एजेंसी के पक्ष में या उसके खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी न करें। साथ ही, पेशेवर चर्चाओं के राजनीतिकरण से बचें।

खुलापन (Openness): सभी प्रकार के विचारों या आलोचनाओं को सुनने के लिए तैयार रहें, चाहे वे सकारात्मक हों या नकारात्मक।

अनुपालन (Compliance): प्रासंगिक नियमों और विनियमों का अनुपालन करें।

निजता (Privacy): अन्य व्यक्तियों की व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें और न ही अपनी निजी एवं व्यक्तिगत जानकारी साझा करें।

6. विविध (Miscellaneous)

6.1. युद्ध की नैतिकता (Ethics of War)

- **प्रस्तावना:** रूस-यूक्रेन और इज़राइल-हमास के बीच हालिया संघर्ष और युद्ध के दौरान किए गए क्रूर कृत्यों के बारे में सोशल मीडिया में इमेज और स्टोरीज़ का निरंतर प्रसार अनेक नैतिक प्रश्न खड़े करता है।
- **युद्ध से उत्पन्न होने वाली नैतिकता से जुड़ी हुई चिंताएं कौन-कौन सी हैं?**
  - **सही पक्ष बनाम गलत पक्ष का द्वंद्व:** युद्ध और हिंसा को समझने का प्रयास अक्सर इस निर्णय तक सीमित हो जाता है कि एक पक्ष सही है और दूसरा गलत। हालांकि, स्वयं या दूसरों के द्वारा किए गए ऐसे कृत्यों को उचित ठहराने के लिए तर्क प्रस्तुत करना, इसे **नैतिक रूप से सही नहीं बनाता** है।
  - **दंड और प्रतिशोध:** युद्ध में, **दंड और प्रतिशोध पर आधारित तर्कों** को अक्सर गलती को सुधारने के नैतिक तरीके के रूप में देखा जाता है।
  - **इंसानियत का पतन:** वर्तमान समय में कुछ शक्तिशाली देश अपने **उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधन के रूप** में **युद्ध का सहारा** ले रहे हैं।
  - **व्यक्तिगत बनाम सामूहिक पहचान:** इजराइल-फिलिस्तीन युद्ध जैसे हालिया संघर्ष एक ऐसी प्रवृत्ति को दर्शाते हैं जहां लोग व्यक्तियों को मानव के रूप में नहीं देखते हैं, अपितु उन्हें **केवल सामूहिक पहचान के संदर्भ में** देखा जाता है।

चुनौतियाँ

गैर-राज्य अभिकर्ताओं की भागीदारी: जैसे कि **विद्रोही समूह या आतंकवादी संगठन,** अक्सर राज्य अभिकर्ताओं के समान **कानूनी और नैतिक बाधाओं से बंधे नहीं होते** हैं। उनके कार्य **अक्सर युद्ध सिद्धांतों का उल्लंघन** कर सकते हैं।

विभेद के सिद्धांत (Distinction Principle) की अवहेलना: विभेद के सिद्धांत को लागू करने के लिए लड़ाकू और गैर-लड़ाकू सैनिकों के बीच स्पष्ट अंतर की आवश्यकता होती है, लेकिन वास्तव में, नागरिक अनजाने में सशस्त्र संघर्षों के शिकार बन जाते हैं।

तकनीकी प्रगति और आनुपातिकता (Proportionality) का सिद्धांत: एडवांस सैन्य प्रौद्योगिकियों, जैसे कि ड्रोन और प्रेसिजन-गाइडेड हथियारों का उपयोग, **आनुपातिकता और विभेद के सिद्धांत पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है।**

सीमित वैश्विक नियंत्रण: युद्ध सिद्धांतों का न्यायसंगत तरीके से प्रवर्तन अक्सर अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, **संधियों और समझौतों पर निर्भर** करता है। इन **तंत्रों की प्रभावशीलता अक्सर संदेहास्पद** होती है।

- **नैतिक फ्रेमवर्क**
  - **जस्ट वार थ्योरी:** यह इस बात का आकलन करता है कि युद्ध की शुरुआत उचित, नैतिक या वैध है।
  - **जस एड बेलम:** युद्ध का सहारा लेने में न्याय (वैध प्राधिकार, उचित कारण, सही इरादा)।
  - **जस इन बेलो:** युद्ध के संचालन में न्याय (युद्ध में बल का प्रयोग करते समय आनुपातिकता का ध्यान रखना)।
  - **जस पोस्ट बेलो:** युद्ध के बाद की जिम्मेदारियां (विजेता को गलत काम करने से रोकना, युद्ध के बाद का पुनर्निर्माण)।
- **युद्ध से जुड़े हुए सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करने के उपाय**
  - **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संस्थानों को मजबूत करना:** व्यक्तियों या राष्ट्रों को जवाबदेह बनाने में **अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसी संस्थाओं की भूमिका को भी बढ़ाने** की आवश्यकता है।
  - **कठोर हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण का समर्थन करना:** युद्ध में उन हथियारों के उपयोग को सीमित करना चाहिए, जो **नागरिकों को व्यापक स्तर पर नुकसान** पहुंचा सकते हैं।
  - **शांति स्थापना और संघर्ष समाधान:** कूटनीतिक और शांति स्थापना के प्रयासों में निवेश करना चाहिए। इसमें **संघर्षों के मूल कारणों का समाधान करना, बातचीत को बढ़ावा देना** और बातचीत को सुगम बनाना आदि **हिंसा की रोकथाम में महत्वपूर्ण योगदान** दे सकता है।

» **आचार संहिता (Code of Conduct):** युद्ध की नैतिकता के संबंध में **आम सहमति के आधार पर एक आचार संहिता** तैयार की जा सकती है, जो **विभिन्न देशों की सेनाओं पर लागू किया जा सके।**

6.2. वैश्विक शासन व्यवस्था की नैतिकता (Ethics of Global Governance)

◇ **प्रस्तावना:** शक्तिशाली राष्ट्रों विशेषकर अमेरिका को जवाबदेह ठहराने में संयुक्त राष्ट्र की असमर्थता वैश्विक शासन व्यवस्था को कमजोर करती है। ऐसे में दोहरे मानदंडों और मानवाधिकारों के हनन के कारण संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक शासन व्यवस्था की विश्वसनीयता कम हो रही है।

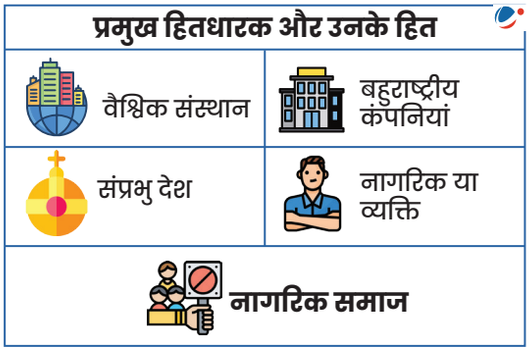

◇ **ग्लोबल गवर्नेंस या वैश्विक शासन व्यवस्था के समक्ष नैतिक मुद्दे**

» जवाबदेही तंत्र का अभाव

» विभेदकारी

» पक्षों का अलग अलग मत/ विचार (Polarizing Narratives)

» कुछ देशों का अल्प प्रतिनिधित्व

» मानवाधिकारों का उल्लंघन

◇ **संभावित समाधान**

» **जवाबदेही तंत्र को स्थापित करना: जवाबदेही और निगरानी से जुड़े उपायों को लागू करने के लिए** वैश्विक शासी निकायों को **अधिक अधिकार** दिए जाने चाहिए।

» **विधि के शासन को बनाए रखना:** वैश्विक निकायों में शासन व्यवस्था **विधि के शासन** और नीति निर्माण पर आधारित होनी चाहिए।

» सभी हितधारकों की **समावेशिता और भागीदारी को प्रोत्साहित करना:** वित्त-पोषण जैसे आर्थिक मानदंडों के बजाय **एक देश, एक वोट** जैसे विकल्पों पर विचार किया जा सकता है।

» **संवाद-आधारित दृष्टिकोण:** सभी पक्षों की चिंताओं का समाधान किया जाना चाहिए।

» एक प्रभावी प्रवर्तन तंत्र के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के लिए **मानवाधिकारों को बनाए रखना अनिवार्य बनाया जा सकता है।** मानवाधिकारों के संबंध में एक **साझा न्यूनतम आचार संहिता** बनाई जा सकती है।

6.3. दंड की नैतिकता (Ethics of Punishment)

◇ **प्रस्तावना:** हाल ही में, पुणे में एक भयानक दुर्घटना घटित हुई, जिसमें एक किशोर ने लग्जरी कार से दो व्यक्तियों को कुचलकर उनकी जान ले ली। वह किशोर एक प्रभावशाली परिवार से संबंधित था। इस मामले में किशोर न्याय बोर्ड ने किशोर को बेहद मामूली शर्तों पर जमानत दे दी। इससे दंड में असमानता से जुड़ी नैतिक चिंताओं पर फिर से बहस शुरू हो गई।

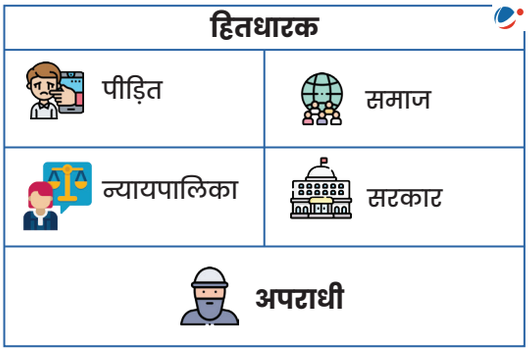

◇ **दंड से जुड़े विभिन्न दर्शन और संबंधित नैतिक दुविधाएं**

» **निवारण (Deterrence)**: यह सिद्धांत बताता है कि सजा मिलने का भय अपराधियों को अपराध करने से हतोत्साहित करता है। (मुद्दा: कठोर सजा)

- **अक्षम करना (Incapacitation):** यह भविष्य में अपराध करने से रोकने के लिए **अपराधी को समाज से अलग करने और उसकी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने** पर केंद्रित है। (मुद्दा: मानवाधिकार, दीर्घकालिक प्रभावकारिता)
- **प्रतिशोधात्मक (Retribution) न्याय:** इसमें कहा गया है कि दंड का उद्देश्य अपराध को नियंत्रित करने या रोकने के बजाय गलती को सुधारना होता है तथा दंड की प्रकृति अपराध की गंभीरता पर आधारित होती है। (मुद्दा: कठोरता, सामाजिक व्यवहार परिवर्तन)
- **पुनर्स्थापन (Restoration):** पुनर्स्थापनात्मक न्याय के अनुसार, दंड का उद्देश्य अपराधी द्वारा **पीड़ित और समुदाय को पहुंचाए गए नुकसान की भरपाई** करना होता है। (मुद्दा: सभी अपराधों के लिए उपयुक्तता, पीड़ित की न्याय संबंधी धारणा)
- **पुनर्वास (Rehabilitation):** पुनर्वास में उपचार, चिकित्सा, शिक्षा और प्रशिक्षण के जरिए अपराध करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार में बदलाव करने में मदद की जाती है। (मुद्दा: राजकोषीय बाधाएं, जनता द्वारा कठोर सजा की मांग)

आगे की राह

न्यायोचित सजा	दंड को तर्कसंगत बनाना	दंड को तर्कसंगत बनाना	पुनर्वास

6.4. बुद्ध की शिक्षाएं (Buddha's Teachings)

- **प्रस्तावना:** हाल ही में, भारत के उपराष्ट्रपति ने **'एशियाई बौद्ध शांति सम्मेलन (ABCP)'** की **12वीं महासभा** को संबोधित करते हुए बुद्ध की शिक्षाओं के महत्त्व पर जोर दिया।
- **बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं**
  - **चार आर्य सत्य:** संसार में दुःख है और सारा संसार उससे पीड़ित है, "अष्टांगिक मार्ग" को अपना कर दुःखों का अंत किया जा सकता है।
  - **"अष्टांगिक मार्ग"** (दुःख के अंत का रास्ता): ये हैं- सम्यक् दृष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वाणी, सम्यक् कर्म, सम्यक् आजीविका, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति और सम्यक् समाधि।
  - **बुद्ध ने "मध्यम मार्ग"** (न तो बहुत कठोर तप और न ही बहुत अधिक विलासितापूर्ण जीवन) के आधार पर सरल एवं सात्विक जीवन जीने का उपदेश दिया है।
  - इसके अलावा, बौद्ध नीतिशास्त्र में चार आर्य सत्य में चौथे का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें मोक्ष के साधन के रूप में **'त्रिरत्न (तीन रत्न)'**- ज्ञान (प्रज्ञा), शील (नैतिक आचरण) और समाधि (एकाग्रता) का वर्णन है।
  - **बौद्ध भिक्षुओं के लिए पांच नियमों** (पंचशील) का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये पांच नियम हैं: सत्य (झूठ न बोलना), अहिंसा (हिंसा न करना), अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्य (व्यभिचार न करना), और मादक द्रव्यों का सेवन न करना।
- **वर्तमान समय में बुद्ध की शिक्षाओं की प्रासंगिकता**
  - **उपभोक्तावादी एवं भौतिकवादी मानसिकता को नियंत्रित करना:** बुद्ध ने आसक्ति और दुःख के मध्य के संबंध को स्वीकार किया और आंतरिक संतुष्टि की खोज करने के लिए प्रेरित किया है।
  - **वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना:** माइंडफुलनेस, एकाग्रता और सही समझ को प्रोत्साहित करने से व्यक्ति में प्रश्न करने या किसी घटना के कारण को जानने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल सकता है।

- **शांति, सद्भाव एवं सह-अस्तित्व:** सभी जीवों के प्रति प्रेम की भावना और **कर्म के सिद्धांत** पर जोर देने से युद्ध, आतंकवाद, उग्रवाद और हिंसा पर अंकुश लगाया जा सकता है।
- **अंतर-धार्मिक सौहार्द्र:** बुद्ध ने **ईश्वर के अस्तित्व को न तो स्वीकार किया और न ही अस्वीकार किया।** उन्हें व्यक्ति और उसके कार्यों की अधिक चिंता थी।
- **नैतिक मार्गदर्शिका:** वर्तमान में **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी जैसी अग्रणी प्रौद्योगिकियों** का विकास हो रहा है।
- **संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान:** बुद्ध ने हमेशा **अहिंसा पर बल दिया** एवं संघर्षों को सुलझाने के लिए **संवाद को सर्वोत्तम तरीका** बताया।

6.5. खेल में नैतिकता (Ethics in Sports)

- **प्रस्तावना:** क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच मैच के दौरान श्रीलंकाई क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज के खिलाफ टाइम-आउट के फैसले को लेकर विवाद खड़ा हो गया।

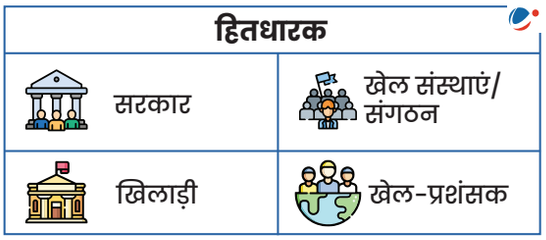

- खेल में नैतिकता के लिए **चार प्रमुख गुणों की आवश्यकता** होती है:
  - निष्पक्षता,
  - सत्यनिष्ठा/ ईमानदारी,
  - जिम्मेदारी की भावना, और
  - सम्मान की भावना।
- **खेलों में कौन-कौन से नैतिक मुद्दे उठते हैं?:** "जीतना ही सब कुछ है" का विचार, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा का दबाव, कानून और नैतिकता का द्वंद्व, सीमित नैतिकता।
- **खेल नैतिकता को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है?**
  - **रोल मॉडलिंग:** खेलों में **ईमानदार खिलाड़ियों को रोल मॉडल के रूप में बढ़ावा देना चाहिए,** जो नैतिक व्यवहार के उच्चतम मानकों का उदाहरण प्रस्तुत करते हों।
  - **डोपिंग रोधी पहल:** निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने और एथलीट्स के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मजबूत **डोपिंग रोधी कार्यक्रम लागू करना** चाहिए।
  - **मीडिया की जिम्मेदारी: जिम्मेदारीपूर्ण और नैतिक खेल पत्रकारिता को बढ़ावा देना** चाहिए, जो **निष्पक्ष रिपोर्टिंग पर ध्यान केंद्रित** करती है और सनसनीखेज प्रसारण से बचती है।
  - **स्पॉन्सर की जिम्मेदारी: नैतिक मानकों के अनुरूप** जिम्मेदारीपूर्ण **स्पॉन्सरशिप और कॉर्पोरेट कार्यप्रणालियों को प्रोत्साहित** करना चाहिए।

6.6. कुत्तों द्वारा काटने की घटनाएं: आवारा कुत्तों के नियंत्रण में उत्पन्न होने वाली नैतिक चिंताएं (Beyond Bites: Ethical Considerations In Stray Dogs Control)

- **प्रस्तावना:** भारत में **आवारा कुत्तों की आबादी लगभग 1.5 करोड़** है। 2019 में भारत में कुत्तों के काटने के 4,146 ऐसे मामले सामने आए जहां इंसानों की मौत हो गई। इस प्रकार, आवारा कुत्तों के प्रबंधन को लेकर चिंता बढ़ रही है।

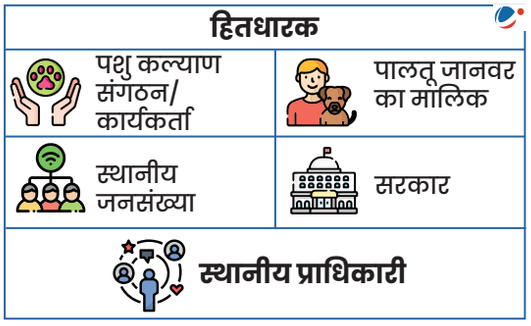

- **आवारा कुत्तों के नियंत्रण से जुड़े नैतिक पहलू**
  - **परित्याग:** पालतू जानवरों को छोड़ देना एक अनैतिक कार्य है, जिसे अक्सर **अनैतिक और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार** माना जाता है।
  - **साहचर्य और जिम्मेदारी (Companionship and responsibility):** कुत्तों का मनुष्य के विकासवादी इतिहास के साथ साहचर्य का एक अनूठा रिश्ता रहा है। यह **उनके कल्याण के लिए जिम्मेदार होने की एक नैतिक दुविधा पैदा करता है।**
  - **सार्वजनिक स्वास्थ्य:** मानव स्वास्थ्य और कुत्तों के स्वास्थ्य, दोनों के लिए चिंता व्यक्त की जाती है।
  - **पशु नियंत्रण के तरीके:** नैतिक विकल्पों, जैसे कि ट्रैप-न्यूटर-रिटर्न (TNR) कार्यक्रमों पर विचार किया जाना चाहिए।
- **वर्तमान नीतिगत ढांचा**
  - पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (PCA), 1960
  - भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI), 1962
  - पशु जन्म नियंत्रण (ABC) कार्यक्रम
  - AWBI बनाम नागराजा वाद (2014) में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि देश के कानून के अधीन प्रत्येक प्रजाति को जीवन और सुरक्षा का अधिकार है।

आगे की राह

पशु नियंत्रण उपाय	अवसंरचनात्मक सहायता	प्रशिक्षण और शिक्षा	नए रिश्तों का विकास

6.7. नैतिकता और जलवायु परिवर्तन (Ethics and Climate Change)

- **प्रस्तावना:** संयुक्त राष्ट्र COP26 और ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट जलवायु वार्ता और जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने में आ रही कठिनाइयों को उजागर करते हैं।
- **जलवायु परिवर्तन से जुड़े नैतिक मुद्दे**
  - **विभिन्न क्षेत्रों और आबादी पर असंगत प्रभाव:** विकासशील देश और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को अक्सर अपनी सुभेद्यता तथा अनुकूलन के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी के कारण जलवायु प्रभावों का व्यापक प्रभाव झेलना पड़ता है।

प्रमुख हितधारक

वैज्ञानिक समुदाय	सरकारें
अंतर-सरकारी संगठन	स्थानीय समुदाय
देशज लोग	व्यवसाय और निगम

  - **जलवायु संबंधी प्रवास और विस्थापन:** जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले प्रवास और विस्थापन से लोगों को असुरक्षा का सामना करना पड़ता है।
  - **जिम्मेदारियों का असमान वितरण:** ऐतिहासिक रूप से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में औद्योगिक देशों ने सबसे अधिक योगदान दिया है।
  - **देशज लोगों के लिए जलवायु न्याय:** जलवायु परिवर्तन देशज लोगों की भूमि से जुड़ी आजीविका, संस्कृति, पहचान और जीवन के तरीकों के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है।
  - **तकनीकी असमानता:** जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकियों और स्वच्छ ऊर्जा समाधानों तक पहुंच सभी देशों तथा समुदायों के लिए एक समान नहीं है।

आगे की राह

ह्रास/ क्षति की रोकथाम	एकजुटता	एहतियाती दृष्टिकोण	समानता और न्याय	संधारणीय विकास	निर्णयन प्रक्रिया में वैज्ञानिक ज्ञान और सत्यनिष्ठा को अपनाना

6.8. संज्ञानात्मक असंगति अथवा मानसिक द्वंद्व (Cognitive Dissonance)

- **प्रस्तावना:** सेंट पीटर्सबर्ग की रैली में शामिल 48 वर्षीय दिमित्री माल्टसेव के मन में यह अंतर्द्वन्द्व चल रहा था, कि इस कठिन समय में उसे अपने देश का समर्थन करना चाहिए या मानवतावादी दृष्टिकोण से यूक्रेनी लोगों की दुर्दशा को समझने हेतु प्रयास करना चाहिए।
- **संज्ञानात्मक असंगति अथवा मानसिक द्वंद्व क्या है?**
  - संज्ञानात्मक असंगति को आम तौर पर 'मानसिक द्वंद्व या अशांति के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह मुख्यतः किसी व्यक्ति के **विचारों के द्वन्द्वात्मक स्थिति में होने पर** परिलक्षित होता है तथा ऐसी स्थितियां सामान्यतः उसके **व्यवहार/ कार्यप्रणाली तथा उसकी मान्यताओं के मध्य विपरीत संबंधों को दर्शाती हैं।**
- इसके दो प्रकार हो सकते हैं जैसे-
  - **पूर्वानुमानित/ प्रत्याशित असंगति (Anticipated Dissonance),** यानी वास्तविक नैतिक उल्लंघन से पूर्व अपेक्षित अनैतिक कृत्य।
  - **अनुभवजन्य/ अभिज्ञ असंगति (Experienced Dissonance),** यानी, किए गए व्यवहार/कार्यप्रणाली के बाद अनैतिक कृत्य या अपराध बोध का अनुभव होना।
- निम्नलिखित लक्षण **संज्ञानात्मक असंगति की पहचान हेतु एक चिन्हक के रूप में कार्य करते हैं-**
  - कुछ करने या निर्णय लेने से पहले **असहज महसूस करना।**
  - आपने जो **निर्णय** लिया है या जो **कार्य** किया है, उसको **सही या युक्तिसंगत ठहराने की कोशिश करना।**
  - आपने जो कुछ किया है उसके लिए **शर्मिंदा महसूस करना और अपने कार्यों को अन्य लोगों से छिपाने की कोशिश करना।**
  - अतीत में आपने जो कुछ किया है उसको लेकर **अपराधबोध या खेद का अनुभव करना।**
- **संज्ञानात्मक असंगति से जुड़े नैतिक मुद्दे**
  - **नैतिक दुविधाएं:** व्यक्तिगत मूल्य और व्यावसायिक दायित्वों के मध्य टकराव से आंतरिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
  - **निर्णय-निर्माण की सत्यनिष्ठा पर प्रभाव:** व्यक्तिगत विश्वासों और व्यवहारों के बीच असंगतता के कारण पैदा होने वाले व्यवधानों को कम करने हेतु व्यक्ति अपने अनैतिक कार्यों को तर्कसंगत या उचित ठहरा सकते हैं।
  - **भरोसे और विश्वसनीयता का ह्रास:** व्यक्तिगत व्यवहारों और मूल्यों के बीच मौजूद असंगतता को दूर करने के लिए व्यक्ति कपटपूर्ण कृत्यों में शामिल हो सकते हैं।
  - **दीर्घावधि में नैतिक ह्रास:** संज्ञानात्मक असंगति की स्थिति में लंबे समय तक रहने से, व्यक्ति में धीरे-धीरे नैतिक मूल्यों से समझौता करने की प्रवृति बढ़ सकती है। इससे अनैतिक व्यवहार को बढ़ावा मिल सकता है।
  - **सामाजिक प्रभाव:** सामाजिक मुद्दों के प्रति लोगों के बड़े समूह में संज्ञानात्मक असंगति की स्थिति उत्पन्न होने से दृष्टिकोण में ध्रुवीकरण, असहिष्णुता और शत्रुता में वृद्धि हो सकती है।

आगे की राह

संज्ञानात्मक संगति का सिद्धांत (Principle of cognitive consistency): व्यक्तिगत स्तर पर अलग-अलग आयामों, विश्वासों और विचारों से संबंधित लागत-लाभ अनुपात का पुनर्मूल्यांकन करके इस तरह की असंगति को दूर किया जा सकता है।

समस्याओं की पहचान करना: पेशेवर और उच्चतर स्तर पर, समस्याओं की पहचान करने और इसके समाधान के लिए संस्थागत कदम उठाने हेतु **बाहरी हस्तक्षेप** की आवश्यकता होती है।

प्रभावी नेतृत्व: सार्वजनिक तौर पर प्रचलित किसी भी सामूहिक संज्ञानात्मक असंगति के समाधान के लिए साझा उपाय खोजने हेतु नेताओं, सिविल सेवकों और विशेषज्ञों में आम लोगों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने की क्षमता होनी चाहिए।

ऑल इंडिया मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज़

देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं

- ✓ सामान्य अध्ययन
- ✓ निबंध
- ✓ दर्शनशास्त्र

ENGLISH MEDIUM 2024: 8 AUGUST
हिन्दी माध्यम 2024: 8 अगस्त

ENGLISH MEDIUM 2025: 11 AUGUST
हिन्दी माध्यम 2025: 11 अगस्त

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

Building Mental Resilience for UPSC CSE with VisionIAS Student Wellness Cell

The UPSC Civil Services Examination is one of the most prestigious exams in the country, bringing immense professional and personal satisfaction. However, the journey often involves overcoming loneliness, intense competition pressure, anxiety, and other psychological challenges. These issues can impact both your preparation and overall well-being.

At **VisionIAS**, we recognize the multifaceted nature of this journey. To support our students comprehensively, we have established a dedicated Student Wellness Cell. Since April 2024, our highly professional psychologists and experienced professionals have provided confidential and mindful support as per student needs.

From Stress Management to Academic Excellence

Enhancing Academic Performance: Effective stress management contributes to better academic outcomes.

Comprehensive Wellness Cell: Addressing various issues impacting mental health and academic performance.

Professional Mental Health Support: Seeking professional help is crucial for success in UPSC preparation.

Safe and Non-Judgmental Environment: A space for students to discuss issues and receive personalized support.

Well-Supported Mind for Excellence: Mental well-being is essential for achieving success in UPSC exams.

Confidential and Structured Support: Multiple, structured sessions based on the severity of the issues.

Common Issues and Our Approach

Our counseling services have addressed a variety of issues, including:

Anxiety and Hopelessness: Using Cognitive Behavioural Therapy (CBT) to promote positive thinking.

Lack of Motivation and Focus: Introducing time management strategies and SMART goal-setting.

Emotional Struggles: Providing a safe space for expression and techniques such as journaling and progressive muscle relaxation.

Social Isolation and Loneliness: Encouraging healthy social interactions and setting personal boundaries.

Family and Personal Issues: Offering advice on coping with family dynamics, personal loss, and significant life stressors.

Scan the QR code for more details

To support the larger student community, **VisionIAS** is now extending our counseling and wellness support to all students preparing for UPSC CSE, regardless of their coaching institute affiliation. Schedule a session by visiting our office at Apsara Arcade near Karol Bagh Metro Station or emailing ***student.wellness@visionias.in.***

Remember, seeking help is a sign of strength, not weakness.

Heartiest Congratulations
to all Successful Candidates

Aditya Srivastava

79 in **TOP 100** Selections in **CSE 2023**
from various programs of **Vision IAS**

Animesh Pradhan

Ruhani

Srishti Dabas

Anmol Rathore

Nausheen

Aishwaryam Prajapati

हिंदी माध्यम में 35+ चयन CSE 2023 में

= हिंदी माध्यम टॉपर =

मोहन लाल

अर्पित कुमार

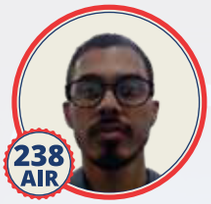

विपिन दुबे

मनीषा धार्वे

मयंक दुबे

देवेश पाराशर

UPSC TOPPERS/OPEN SESSION: QR स्कैन करें

मोहन लाल

TOPPERS' TALK

अर्पित कुमार

TOPPERS' TALK

विगत वर्षों में UPSC मेन्स में पूछे गए प्रश्न

UPSC मेन्स 2024 के लिए व्यापक रणनीति

HEAD OFFICE
Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor, Near Gate-6 Karol Bagh Metro Station
DELHI

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066

enquiry@visionias.in /@visioniashindi /visionias.upsc /vision_ias_hindi/ /hindi_visionias

अहमदाबाद बेंगलूरु भोपाल चंडीगढ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे रांची